कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

यह कि आदेश क्रमांकः शिविरा–मा/सी–5/अभ्यावेदन/19–20/383 दिनांक 2/12/19 द्वारा रेखा गोठवाल, व्या. भूगोल राउमावि. रलावता, खण्डेला सीकर का स्थानांतरण राउमावि. मुण्डी ताल, राजगढ, तारानगर, चूरू किया गया। रेखा गोठवाल ने इस स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19341/19 रेखा गोठवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 19341/19 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2019 द्वारा अधिकरण को याचिकार्थीया की याचिका पर सुनवाई कि निर्देश देकर सिविल सेवा अपील अधिकरण के आगामी आदेश तक याचिकार्थीया को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं करने तथा याचिकार्थीया के विरूद्ध कोई अवपीडक कार्यवाही अमल में नहीं लाने के आदेश प्रदान कियें। उक्त निर्णय की पालना में याचिकार्थीया के स्वयं द्वारा प्रस्तुत स्थान राउमावि. ढाणी बाढ़ान खेतड़ी, झुंझुनूं व्या. भूगोल के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया।

श्रीमति रेखा गोठवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पुनः याचिका संख्या 3674/20 रेखा गोठवाल बनाम सरकार याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया रेखा गोठवाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का तलाक पारिवारिक न्यायालय में लम्बित होने उक्त आधार पर एकल महिला होने एवं स्थानांतरित स्थान 35 किमी. दूर होने के आधार पर राउमावि. चिरानी झुंझुनूं के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया रेखा गोठवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण एवं मनन किया गया। याचिकार्थीया द्वारा धारित व्या. पद राज्य स्तर का पद/नियोक्ता द्वारा इन्हें राज्यहित/छात्रहित में कहीं भी किसी भी राउमावि. में पदस्थापित किया जा सकता है। याचिकार्थीया का माननीय उच्च न्यायालय की पालना में स्वयं द्वारा प्रस्तुत स्थान राउमावि. ढाणी बाढ़ान खेतड़ी झुंझुनूं में पदस्थापन दिनांक 02.12.2019 को किया जा चुका है। अतः अल्प समय में ही याचिकार्थीया द्वारा पुनः इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग तर्कसगत/न्यायसंगत नहीं होने के आधार पर प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अभ्यावेदन/19–20/16 दिनांक– 26/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को सूचनार्थ।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)